



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

भवन निर्माण बारम्ब करने से पूर्व बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से बनावति ब्यापक एवं बाध करना होया

मानचित्र संख्या :

365/mp/08

/543/ई.एच.ए./जी.एच./08-09

दिनांक : 16-7-2008

मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (कन्सॉलियम)
115, अंसल भवन, 16-कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-1

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2008 के संदर्भ में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत डी.पी.आर. में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या जी.एच.-1 (खसरा नं. 991, 992, 994 से 999 आदि ग्राम दूडाहेडा, गाजियाबाद) के प्रस्तावित पुनरीक्षित ग्रुप हाऊसिंग मानचित्र पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत करवाया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्वेस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही करवा जायेगा तथा भवन में स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ.प्र.नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।

स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की मंख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरवाइजिंग एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. भूखण्ड द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 16.06.2008 व 02.07.08 का पालन करना होगा।
14. भूखण्ड की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक प्रत्येक 200 मी. पर एक पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इस के साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवनको प्रयोग में न लायेंगे।

16. फुटपाथ निर्माण हेतु सर्वेक्षण को व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

18. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने की दशा में मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
19. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य करायें जाने का दायित्व स्वयं विकासकर्ता कम्पनी का होगा।
20. भवन उपयोग से पूर्व सम्पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा एवं सम्पूर्ण प्रमाण पत्र से पूर्व रैनवाटर, हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण करना होगा।
21. वैकल्पिक सौर ऊर्जा का प्राविधान करना होगा।
22. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
23. परफॉर्मेन्स गारन्टी के रूप में डवलपमेंट एग्रीमेंट के साथ प्रस्तुत बैंक गारन्टी की वैधता तिथि समाप्त होने से पूर्व स्वयं बढ़वाकर प्रस्तुत करनी होगी तथा दिनांक 09.05.2007 को निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
24. शपथ पत्र के अनुसार डिपेंडन एअर फोर्स की एन.ओ.सी. चार माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा बिल्डिंग की हाईट 30.0 मीटर से अधिक नहीं होगी अर्थात् एन.ओ.सी. अप्राप्त की स्थिति में मानचित्र में 30 मीटर तक की स्वीकृति मानी जायेगी।
25. एल.टी.लाइन को हटवाकर ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
26. प्रस्तावित 12 मीटर चौड़े अस्थाई मार्ग को केवल निर्माण हेतु प्रयुक्त करना होगा। कालान्तर में डी.पी.आर. में प्रस्तावित मार्ग ही इस भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग होगा। इस हेतु पूर्व में दी गयी अप्पेटेंटिंग दिनांक 30.01.2008 का पालन करना होगा।
27. नगर निगम की 14 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में मानीय उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा उसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
28. स्ट्रक्चरल डिजाईन व प्लान आई.आई.टी. दिल्ली से वेट करवाकर 90 दिन के अन्दर जमा करना होगा।
29. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

संलग्नक : 1. दो सैट स्वीकृत मानचित्र।

व्यापक स्तरों पर गम्भीर दावाओं के ऊपर आर०सी०मी० टाई टाइम डालना उचित/अवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवल सिस्टम व प्रत्येक छत के

पत्रांक /एमपी/

दिनांक 3/8/08

प्रतिनिधि: 1. अधि0 अधि0 नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृति मानचित्र सहित।

2. प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु।

3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सूचना।

C.O.O.

As advised, please find one set of approved drawings. kindly send copies of drawings to all

सी.ए.टी.पी.
गाजियाबाद

सी.ए.टी.पी.
गाजियाबाद



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 53.9/m8/11

दिनांक : 11/11/2011

मानचित्र की स्वीकृति विकासकर्ता के स्वामित्वधीन भूमि पर ही दी गयी है। अन्य की भूमि को क्रय करने तक अन्य की भूमि पर केवल सैण्डयूज ही माना जायेगा।

मानचित्र संख्या : 1143/ई.एच.ए./ जी.एच. /10-11

1243/ई.एच.ए./ जी.एच. /10-11

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मै. अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा.लि. (कन्सॉर्शियम)
115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवल सिस्टम प्रत्येक छत डाले जाये।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.10 एवं 15.11.10 के संदर्भ में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी.एच.-1 डूंडाहेडा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित 9 अतिरिक्त टावर्स के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी०डी०ए० अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 3- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- 4- यदि भविष्य में कोई भी व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 5- एच.टी.लाइन एवं अन्य बिजली की लाइन से निर्धारित सीमा के अंदर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 6- सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- 7- स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन में स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
- 8- वह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
- 9- रैम्प का निर्माण अपनी ही भूमि पर सड़क अथवा लेन को बिना प्रभावित किये करना होगा।
- 10- सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम / शर्तों का पालन करना होगा।
- 11- प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 10.11.10 का अनुपालन विकासकर्ता को करना होगा।
- 12- प्राधिकरण में प्रस्तुत अण्डरटेकिंग दिनांक 05.02.2011 के अनुसार वांछित अभिलेख निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने होंगे।
- 13- ग्राम समाज अथवा नगर निगम की भूमि को यथावत रखा जायेगा। यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करायी जाती है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग की शर्तों का पालन करना होगा।

- 14- सिटी डवलपमेंट चार्जेज की मद में अवशेष धनराशि रुपये 89,52,677/- पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो त्रैमासिक किश्तों का भुगतान निम्नानुसार करना होगा-

देय तिथि	कुल देय धनराशि
28.04.2011	रु. 47,44,919.00
28.07.2011	रु. 46,10,629.00

उपरोक्त किश्तें निर्धारित तिथि पर जमा न कराने की दशा में नियमानुसार 15% दण्ड ब्याज देय होगा।

- 15- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 21.05.2005 के अनुसार एवं शासनादेश दिनांक 28.11.06 के क्रम में समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै. अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा. लि. (कन्सॉर्शियम) का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे परन्तु प्रस्तावित टाउनशिप में कतिपय ट्रंक सुविधायें जैसे रोड कनेक्शन, ड्रेनेज एवं सीवेज निस्तारण, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि सुविधायें विकासकर्ता कंपनी को वास्तविक व्यय के ऊपर 15% सुपरविजन चार्जेज जोड़कर उपलब्ध करायी जा सकती है। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका सीधा लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
- 16- भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा। स्थल पर एक बॉर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।
- 17- अग्नि शमन विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
- 18- भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
- 19- अपार्टमेंट एक्ट-2010 की समस्त धाराओं का पालन करना होगा।
- 20- ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
- 21- एल.एम.सी./ नगर निगम की भूमि पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं दी जा रही है। प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

22- भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईंग को आई.आई.टी. दिल्ली/ रूड़की से वेत कराकर प्रस्तुत करने हेतु दी गयी अण्डरटेकिंग दिनांक 05.02.11 के अनुसार एक माह में प्रस्तुत करनी होगी। उसके पश्चात ही स्थल पर निर्माण आरम्भ करना होगा तथा तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। डी.पी.आर. के स्वीकृत तलपट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1 -2001 भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दि. 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रेट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मोटार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

नियुक्त नियमों के अनुसार पुरखित पूरी होकर ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता /आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

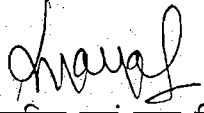
ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आकिटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-

1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

- 2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
- 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्।
- 4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईंग जिनमें सैक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल् इत्यादि शामिल रहेंगे।
- 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
- 6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
- 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
- 23- प्राधिकरण द्वारा यदि भविष्य में कोई अतिरिक्त शुल्क रोपित किया जाता है तो उसे प्राधिकरण में जमा कराना होगा व वाह्य/आन्तरिक विकास हेतु प्रस्तुत बैंक गारन्टी रूपये 6.065 करोड़ की वैधता अवधि दिनांक 19.03.2011 व दिनांक 18.07.2011 को समाप्त हो रही है जिसकी वैधता अवधि कम से कम 2 वर्ष के लिए बढ़वाकर प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 24- विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
- 25- स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग / निर्माण शमनीय नहीं होगा।
- 26- आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव में निहित 101075.00 वर्ग मी. भूमि से अतिरिक्त आवेदक के स्वामित्व वाली भूमि पर भविष्य में तत्समय प्रभावी भवन उपविधि एवं महायोजना-2021 में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुरूप ही प्रस्तावना मान्य होगी।
- 27- मानचित्र में ऑगनवाडी हेतु दर्शित क्षेत्रफल पर उपयोग से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण करना होगा।
- 28- योजनान्तर्गत नगर निगम की 14 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं शासन द्वारा जो भी निर्णय दिया जायेगा उसका विकासकर्ता को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा जिसके लिए दी गई अण्डरटेकिंग दिनांक 12.01.2008 का पालन करना होगा।
- 29- प्रस्तावित/निर्मित 12 मी. चौड़े अस्थायी मार्ग को केवल फ्लैट्स के निर्माण तक ही प्रयुक्त करना होगा। कालान्तर में डी.पी.आर. में प्रस्तावित 30 मीटर एवं 24 मीटर चौड़ा मार्ग ही इस भूखण्ड हेतु पहुँच मार्ग होगा। इस हेतु पूर्व में दी गई अण्डरटेकिंग दिनांक 30.01.2008 पालन करना होगा।
- 30- सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
- 31- दी गयी अण्डरटेकिंग के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय सम्बन्धी स्वीकृति एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
- 32- एअरपोर्ट अथॉरिटी एवं हिण्डन एअरफोर्स स्टेशन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

- 33- प्रस्तावित योजना का अनुरक्षण पक्ष द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक इसे नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं कर दिया जाता है एवं नगर निगम को हस्तान्तरित करने की जिम्मेदारी भी पक्ष की होगी तथा व्यय भी पक्ष को वहन करना होगा।
- 34- अग्निशमन के वाहनों के प्रयोग हेतु स्थल पर उपयुक्त स्थानों पर फायर हाइड्रेंट्स का प्राविधान पक्ष को करना होगा।
- 35- प्रस्तावित भवन हेतु आवश्यक कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 36- विद्युत व्यवस्था हेतु उ.प्र. पावर कारपोरेशन से स्वयं कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
- 37- निर्माण के समय स्थल से लगी ग्रीन बैल्ट की भूमि यथावत छोड़ने के उपरान्त ही भवन का निर्माण किया जायेगा एवं हाईटेशन लाईन व भवन के मध्य की दूरी यथावत रखी जायेगी।
- 38- विकलांग एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 39- मानचित्र की स्वीकृति विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्तियों एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली अनापत्तियों की प्रत्याशा के आधार पर दी जा रही है। यदि उक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 40- पूर्व में निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
- 41- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक : एक सैट स्वीकृत मानचित्र।


मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गा0वि0प्राधिकरण, गाजियाबाद

पत्रांक : एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक